न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र 3जी (5) संख्याः 19/2018
दायर दिनांकः 02.07.2018
आदेश दिनांक 05.03.2020

—:अनवानः—

श्री मदनलाल पिता दीपचन्द पालीवाल निवासी उपली ओडन तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द जरिये अधिकारपत्र धारक मुकेश पिता मांगीलाल राठी निवासी बृजपुरा नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये प्रोजेक्ट मेनेजर पंचवटी उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री गिरिश तिवारी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3— अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित
4— श्री कैलाश बोल्या, राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थी की ग्राम राबचा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 531 क्षेत्रफल 01.07 बीघा स्थित है। वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए भू अवाप्ति की प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित रोड निर्माण करने हेतु तय की गई रोड की सीमा से गुजरने वाली भूमि को अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु विपक्षी संख्या 02 के द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है तथा क्लेम आवेदन पत्र एवं आपत्तियां मांगी गयी है और मुआवजा अदायगी की कार्यवाही की जा रही है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 500 रूपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा मनमकसूद तरीके से तय किया गया है। इस प्रकार बाजार दर से काफी कम मुआवजा त्तय किया गया है। जबकि इस लगती हुई भूमि 500 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से क्रय किया जाना भी संभव नहीं है। प्रार्थी का मुआवजा कम दर से तय किया गया है। प्रार्थी ने मुआवजा अदा करने बाबत अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 26.12.2017 को एक

प्रतिवेदन पेश कर मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर अदा करने बाबत सूचना पत्र भी प्रेषित किया जो प्रतिवादी को प्राप्त होने के बाद भी इसके मुआवजा का एवार्ड जारी नहीं किया गया न ही राशि की अदायगी की गई है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही मे मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकरण वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण मे भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावें। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशा निर्देशानुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये है। लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागू होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अनुसार अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावें तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शतप्रतिशत तोषण राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस हेतु यह याचिका प्रस्तुत की गयी।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राजसमन्द से एवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम राबचा की आराजी नं0 531 किस्म बारानी 3 होकर अवाप्त भूमि का मुआवजा 0.0127 हैक्टर भूमि की डी.एल.सी. दर 556.65/- प्रति वर्गमीटर से रू. 70,695/- तय किया जो सही हैं, प्रार्थी रू. 500/- प्रति वर्गफीट की दर से भुगतान चाहता हैं, जो दिया जाना सम्भव नही है, क्योकि मुआवजा निर्धारण डी.एल.सी. दर से ही करने का प्रावधान हैं, प्रार्थी ने निर्धारित समयावधि में कोई क्लेम सप्रमाण पेश नही किया हैं। अप्रार्थी द्वारा **RFCTLARR,ACT 2013** के तहत कार्यवाही तभी प्रस्तावित की जायेगी जब प्रार्थी अपना क्लेम सप्रमाण विपक्षी संख्या 01 के यहॉ पेश करेगा, इसके अलावा परिपत्र नं. NH- 11/011/30/2015 /L.A./ नई दिल्ली के पेरा 4.6 (।।।)(अ) के अनुसार पृथक से देय नही है, क्योंकि इस ग्राम के अधिकांश व्यक्तियों को भुगतान पूर्व में किया जा चुका हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.12.2017 को अधिवक्ता के मार्फत नोटिस प्रेषित किया गया है, अब तक प्रार्थी द्वारा विपक्षी के पास कोई क्लेम अथवा कोई दस्तावेज पेश नही किये हैं, जिससे राशि भुगतान होना शेष है, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार हैं। विपक्षी ने दिनांक 21.04.2014 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, यह सूचना दिनांक 23.04.2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, इसके बावजुद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नही किया हैं, अतः प्रार्थी का क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नही हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों

न्यायालय जिला कलक्टर

को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी की भूमि जो अवाप्त हुयी है उसका मुआवजा नियमानुसार बाजार दर 500 रूपये प्रति वर्गफिट से अदा नहीं कर डी.एल. सी. दर से निर्धारित की गयी है। इसलिए अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा बाजार दर अनुसार एवं **RFCTLARR,ACT 2013** के प्रावधानों के तहत संशोधित अवार्ड जारी करने का आदेश फरमाया जावें। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा जवाब मे दिये गये तथ्यो को बहस में दोहराते हुए कहा कि उक्त भूमि का मुआवजा नियमानुसार निर्धारित किया गया है। और विपक्षी ने दिनांक 21.04.2014 को सार्वजनिक सूचना द्वारा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, यह सूचना दिनांक 23.04.2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा क्लेम/दावे आमंत्रित किये गये थे, इसके बावजुद प्रार्थी ने सप्रमाण निर्धारित 21 दिवस में कोई क्लेम पेश नही किया हैं, अतः प्रार्थी का क्लेम मयाद बाहर होने से उक्त प्रार्थना पत्र पोषनीय नही हैं।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर गहन मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भी अवलोकन किया तथा अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी की उक्त भूमि विपक्षी द्वारा नेशनल हाईवे फोरलेन निर्माण हेतु अवाप्त की गयी है मोके पर अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा प्रार्थी के अनुसार भूमि की राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म के अनुसार ही निर्धारित किया गया है। जबकि उक्त भूमि का मुआवजा प्रार्थी द्वारा मौके पर की गयी उपयोगिता के आधार पर क्लेम किया गया है। साथ ही प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का मुआवजा **RFCTLARR,ACT 2013** के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया गया है इस भूमि का मुआवजा निर्धारित करने में क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज भी प्रदान नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मानसिंह बनाम भारत संघ के मामलें का उल्लेख करते हुए **RFCTLARR,ACT 2013** के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिये जाने के निर्देश जारी किये है। भूमि का मुआवजा दिनांक 01.01.2015 तक अदा नहीं किया गया है। इस संबंध मे नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा भी **RFCTLARR,ACT 2013** के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिये जाने के निर्देश दिये है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम तरसेम सिंह के मामले में नेशनल हाईवे अधिनियम की धारा 3जे को असंवैधानिक घोषित किया है। ऐसी स्थिति में **RFCTLARR,ACT 2013** के प्रावधानों के तहत प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा अपने तर्क में निवेदन किया है कि उक्त भूमि का मुआवजा तय किया गया है अवार्ड इस लिए जारी नहीं हुआ है कि प्रार्थी द्वारा क्लेम दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। तथा उक्त याचिका प्रार्थी द्वारा प्री मेच्योर रूप से प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी नियमानुसार क्लेम आवेदन पेश करने एवं इससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने पर ही मुआवजा राशि प्रार्थी के खाते में जमा कर सकता है। प्रार्थी का अभी तक क्लेम पेश नहीं हुआ है। मुआवजा भूमि की किस्म अनुसार निर्धारित किया है। इस लिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्री मेच्योर होने के आधार पर खारिज होने योग्य है। उक्त भूमि विपक्षी नेशनल हाईवे प्राधिकरण द्वारा फोरलेन रोड़ हेतु अवाप्त की गयी है। जिसका मुआवजा विपक्षी द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. दर से किया गया है। जो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से नियमानुसार निर्धारण किया जाना प्रमाणित होता हैं। इस प्रकार विपक्षी द्वारा प्रार्थी को मुआवजा निर्धारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार प्रमाणित नहीं होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रार्थी द्वारा मुआवजा बढ़ाने हेतु दूसरा आधार RFCTLARR, ACT 2013 के प्रावधानों का लिया गया है, जिसके तहत प्रार्थी ने तोषण राशि की मांग की है, जिसका जवाब विपक्षी द्वारा प्रस्तुत करते हुए न्यायालय में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थी के मामले में कोई क्लेम पेश नही किया हैं। उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा RFCTLARR,ACT 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि की मांग सीधे ही इस प्रार्थनापत्र के जरिये की गई है। विपक्षी ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी को RFCTLARR,ACT 2013 के तहत कार्यवाही तभी प्रस्तावित की जायेगी जब प्रार्थी अपना क्लेम सप्रमाण विपक्षी संख्या 01 के यहॉ पेश करेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्री मेच्योर होना पाया जाता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थनापत्र प्री मेच्योर होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र प्री मेच्योर होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि RFCTLARR,ACT 2013 के अनुसार प्रार्थी द्वारा नियमानुसार क्लेम एवं दस्तावेज पेश करने पर प्रार्थी को नियमानुसार देय मुआवजा राशि अतिशीघ्र भुगतान की जावे।

आदेश की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सक्षम प्राधिकारी अधिकारी भू अवाप्ति/अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को लौटायी जावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

आदेश आज दिनांकः 05.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)